हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 117

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 3193, 3198, 3199, 3201 से 3203, 3206, 3207, 3209, 3214, 3217, 3222, 3224, 3225, 3227, 3228, 3230 तथा 3236 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3191, 3192, 3194 से 3197, 3200, 3204, 3205, 3208, 3210 से 3213, 3215, 3216, 3218 से 3221, 3223, 3226, 3229, 3231 से 3235, 3237 तथा 3238 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ E.D. द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा को एलॉ न करने के विरोध में पूर्वाह्न 11.15 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया।)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1326 से 1349 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

11-55 PM

(पूर्वाह्न 11.55 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

2. कागज़ात सभा पटल परः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, उप-निदेशक (अनुसंधान) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः का0 (प्रशि0) ए(3)-I/2013 दिनांक 14.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.03.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-15.

3. मन्त्री द्वारा वक्तव्यः

श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री ने दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को मनाए जा रहे "**विश्व होम्योपैथी दिवस**" बारे वक्तव्य दिया।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री महेश्वर सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"दिनांक 15 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**पहाड़ी दरकने से गांव समाणा में बनी झील**" से उत्पन्न स्थिति। "

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मन्त्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"**हाल ही में ज़िला मण्डी के अन्तर्गत धर्मपुर उप-मण्डल (ना0) के सृजन उपरान्त उप-तहसील टिहरा को प्रशासनिक दृष्टि से सरकाघाट से हटाकर तहसील सन्धोल के साथ जोड़ने**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह व प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगे।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मन्त्री ने उत्तर दिया।

5. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः</u>

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य ने **कार्य-सलाहकार समिति** का ग्यारहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

5 (1) विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को सदन में पुरःस्थापित **शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-6) को वापिस लिया जाए।"**

प्रस्ताव स्वीकार।

दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को सदन में पुरःस्थापित शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-6) वापिस हुआ।

6. <u>विधायी कार्यः</u>

(I) <u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

(i) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

(ii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ।

(iii) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ।

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः</u>

श्री सुरेश भारद्वाज ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"प्रदेश की विशेषकर शिमला शहर की ट्रैफिक प्रणाली पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

(1) श्री महेश्वर सिंह
(2) डॉ0 राजीव बिन्दल
(3) श्री महेन्द्र सिंह
(4) श्री जय राम ठाकुर
(5) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
(6) श्री हंस राज

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सदन की बैठक अपराह्न 4.10 बजे बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के अपराह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)